



म्यांमार से आई थी खेप

मुजफ्फरपुर में 80 लाख की विदेशी सिगरेट जब्त



मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई की टीम एक्शन में है. बुधवार को म्यांमार से तस्करी कर लाई गई 80 लाख रुपये की विदेशी सिगरेट जब्त की गई है. बांस लंदे कंटेनर में तहखाना बनाकर सिगरेट के कार्टन छिपाए गए थे. कंटेनर के केबिन के पीछे से गुप्त तहखाने का दरवाजा बना था, जो दिख नहीं रहा था. उसी में सिगरेट को छुपा कर रखा गया था.

डीआरआई टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कंटेनर ट्रक के आगे उत्तराखंड और पीछे में हरियाणा का नंबर लगे कंटेनर पर विदेशी सिगरेट लदी हुई है. डीआरआई ने विदेशी सिगरेट की खेप के साथ यूपी के रामपुर निवासी चालक को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ चल रही है. चालक ने इस मामले में गुवाहाटी से उत्तराखंड तक कई तस्करो के नाम बताए हैं, जिसके सत्यापन

में डीआरआई टीम लगी है. डीआरआई सूत्रों के अनुसार विदेशी सिगरेट के अंतरराष्ट्रीय गैंग के तस्करो ने म्यांमार से भारत में सिगरेट की बड़ी खेप लाई थी. इसके बाद सिगरेट की खेप गुवाहाटी से उत्तराखंड ले जायी जा रही थी. कुल पांच लाख सिगरेट के स्टिक हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 80 लाख रुपये आंकी गई है.

अब मंत्री ने दी माफी...दंडादेश किया निरस्त

DM की रिपोर्ट पर CO हुए निलंबित...विभाग ने दिया दंड

चन्दन कुमार चौबे । सिटी चीफ
पटना, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने अंचलाधिकारी के खिलाफ पारित दंडादेश को निरस्त कर दिया है. जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर विभाग ने आरोपी अंचल अधिकारी को पहले निलंबित किया. इसके बाद विभागीय कार्यवाही चलाकर दंड निर्धारित किया था.आरोपी सीओ ने पारित दंड के खिलाफ मंत्री सह रिविजनल प्राधिकार के समक्ष अपील दायर किया. इसके बाद मंत्री ने पारित दंडादेश को रद्द कर मामले को खत्म कर दिया है.

जांने क्या है पूरा मामला.....
पूर्णिया के जिलाधिकारी ने 17 जनवरी 2023 को पूर्णिया पूर्व के अंचल अधिकारी जयंत कुमार गौतम के खिलाफ आरोप-पत्र गठित कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजा था. तत्कालीन अंचल अधिकारी जयंत कुमार गौतम पर कई गंभीर आरोप थे. डीएम की रिपोर्ट में उल्लेख था कि इन्होंने गलत तरीके से भूदान भूमि की जमाबंदी कायम कर दी. गलत तरीके से बंदोबस्त भूमि (सरकारी भूमि) को लीज पर दिए जाने की विरुद्ध कार्रवाई नहीं की. गलत तरीके से जमाबंदी कायम कर दी. भू हदबंदी की भूमि को गलत तरीके से बिक्री की अनुमति दी. खास महाल भूमि का गलत तरीके से जमाबंदी कायम करने के बाद शुद्धि पत्र निर्गत किया. निजी आवास में सरकारी कागजात रखने एवं लगान अभिलेख में गलत प्रस्ताव समर्पित करने जैसे आरोप थे. डीएम की रिपोर्ट के बाद गंभीर आरोपों में घिरे सीओ जयंत कुमार गौतम को विभाग ने 30 जनवरी 2023 को निलंबित कर दिया था.



विभागीय कार्यवाही चलाने के बाद विभाग ने दिया दंड
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 6 जून 2024 को गौतम को निलंबन मुक्त करते हुए विस्तृत जांच के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की. अपर समाहर्ता पूर्णिया को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया. संचालन पदाधिकारी की रिपोर्ट के बाद तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी जयंत कुमार गौतम जो वर्तमान में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी भू अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय शास्त्री नगर में पदस्थापित हैं,इनके खिलाफ संचर्च प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया गया.

राजस्व मंत्री ने दी माफी
विभागीय दंड मिलने के बाद आरोपी तत्कालीन अंचल अधिकारी जयंत कुमार गौतम ने रिविजनल प्राधिकार सह मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के समक्ष वाद दायर किया. इसके बाद मंत्री ने 29 अक्टूबर 2024 को आदेश पारित कर उक्त दंडादेश को निरस्त कर दिया. साथ आरोपी सीओ के खिलाफ चल रहे वाद की कार्रवाई को समाप्त कर दिया. इस तरह से विभिन्न आरोपों में घिरे पूर्णिया पूर्वी के तत्कालीन सीओ बरी हो गए. विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय ने 8 जनवरी को इस संबंध में संकल्प जारी किया है.

नीतीश सरकार का बड़ा फैसला

एक झटके में 6 IPS अधिकारियों का तबादला

गृह विभाग ने राज्य के आधा दर्जन आइपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। सहायक पुलिस महानिरीक्षक (निरीक्षण) नीरज कुमार सिंह को आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) का नया एसपी बनाया गया है। वहीं, कटिहार के रेल एसपी संजय भारती को सहायक पुलिस महानिरीक्षक (निरीक्षण) बनाया गया है। विशेष कार्य (अभियान) के एसपी प्रमोद कुमार यादव को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-1, पटना का समादेश बनाया गया है। वहीं एसटीएफ



एसपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-7, कटिहार के समादेश हरिशंकर कुमार को कटिहार का नया

रेल एसपी बनाया गया है। जमुई के एसपी चंद्रप्रकाश को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-17, बोधगया का समादेश बनाया गया है। वहीं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-3, बोधगया के समादेश दीपक रंजन को यथावत पूर्व के पद पर हरने का निर्देश दिया गया है। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है विधान परिषद उपचुनाव के लिए NDA उम्मीदवार ललन प्रसाद ने नामांकन दाखिल किया

भोजपुरी स्टार गायक विशाल भट्ट बनेंगे शेर-ए बिहार - चंदन चौबे

पटना, भोजपुरी में यूं तो रोज ही गाने बनते रहते हैं पर कुछ गाने जो लोगों पर जुबान पर टिक जाते हैं भोजपुरी में ऐसे ही गायकों में से एक विशाल भट्ट का नाम शामिल हैं जो की अपने अलग अंदाज एवं बेहतर आवाज के लिए प्रख्यात है वहीं इस मामले में गीतकार चंदन ने बताया की विशाल भट्ट के साथ वो एक नया गाना कर रहे हैं जिस गाने को चंदन चौबे ने ही लिखा हैं और गाने के बोल शेर बिहारे हैं गाना बहुत जल्द लोगों के बिच होगा चंदन ने कहा की विशाल भट्ट



के साथ उनका यह पहला प्रोजेक्ट हैं और वह विशाल भट्ट के साथ गाना जनता के लिए बनाते रहेंगे

और साथ ही उन्होंने जनता से अनुरोध किया की इस गाने को बहुत प्यार आशिर्वाद दिजिए।

नियोजित कर्मियों के मानदेय को लेकर बड़ी खबर

सरकार ने सभी विभागीय सचिव-DGP-कमिश्नर-DM को दिया यह निर्देश...



पटना, नीतीश सरकार ने संविदा पर नियुक्त निम्न वर्गीय लिपिक और आशुलिपिकों के मानदेय का निर्धारण किया है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी. राजेन्द्र ने सभी विभागों के सचिव, पुलिस महानिदेशक,प्रमंडलीय आयुक्त और

जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है. सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि संविदा के आधार पर नियोजित आशुलिपिक एवं निम्न वर्गीय लिपिक के मानदेय का फिर से निर्धारण किया जाता है. सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है की संविदा

नियोजित कर्मियों के मानदेय निर्धारण के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति है. जिसमें संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव सदस्य सचिव होते हैं . संविदा पर नियोजित आशुलिपिक एवं निम्न वर्गीय लिपिक सभी विभागों में पदस्थापित

हैं. ऐसे में सभी विभागों में संविदा नियोजित इन कर्मियों के मानदेय निर्धारण में एकरूपता जरूरी है. अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि विचार विमर्श के बाद सभी विभागीय कार्यालयों में संविदा नियोजित आशु लिपिक एवं निम्न वर्गीय लिपिक के मानदेय का

पुर्ननिर्धारण की अनुशंसा की गई है. आशुलिपिक/ आशुटकक को प्रतिमाह 730000 रू मानदेय मिलेगा. यह 8 सितंबर 2023 से प्रभावी होगा. वहीं निम्न वर्गीय लिपिक का मानदेय 725000 होगा. यह 1 दिसंबर 2024 के प्रभावी रहेगा.